

1. काना पुत्र नारायण जाति लोधा निवासी सदास तहसील सावर जिला अजमेर)

वादी

◆ वनाम ◆

- 1- नानूराम पुत्र किशना जाति लोधा निवासीग्राम सदास तहसील सावर जिला अजमेर (फोट)
1/1 श्रीमती सतोष पत्नि नानूराम
1/2 वन्दना पुत्री नानूराम
1/3 राकेश पुत्र नानूराम
1/4रवि पुत्र नानूराम
जाति लोधा निवासीग्राम सदास तहसील सावर जिला अजमेर
2. सीता पुत्री किशना पत्नि बालूराम जाति लोधा निवासी ग्राम सदास हाल निवासी राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,54,188राज.काश्तकारी अधिनियम

:- आदेश :-

दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,54,188राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया कि ग्राम सदास की जमाबन्दी स. 2073-76 के खाता स. नया पुराना 86-852 किता 4 रकबा 1.6000 है. का बंटवारा किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स 1 व 2 को प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्सा मौके पर नाप कर अलग-अलग संभलाया जावे व राजस्व रिकॉर्ड अलग अलग कायम की जाकर मालगुजारी कायम संभलायी जाये। पक्षकारान को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 6.1.2021 को प्रसारित की गई तथा तहसीलदार सावर को मोकामिशनर नियुक्त किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया । पक्षकारान के मध्य दिनांक 5.11.2020 को राजीनामा किया गया जो तस्दीक किया जाकर न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। तहसीलदार सावर द्वारा आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग शिविर सदास में बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है.)	किस्म
1.	काना पुत्र नारायण लोधा सा.देह खातेदार	733	0.48	चा.1
		34	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
2.	रवि पुत्र नानूराम 1/8 ,राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/8 , वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/8 , सन्तोक पत्नि नानूराम हि. 1/8 , सीता पुत्री किशना हि. 1/2 कोम लोधा सा.देह खातेदार	733/1	0.48	चा.1
		34/1	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
3.	1.काना पुत्र नारायण लोधा हि. 1/2 2.राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/16 3.रवि पुत्र नानूराम हि. 1/16 4.वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/16 5.सन्तोक पत्नि नानूराम हि. 1/16 6.सीता पुत्री किशना हि. 1/4 सा.देह खातेदार	732	0.02है.	गै.मु. चाह
		741	0.02 है.	गै.मु. चाह
		कुल किता 2	0.04	

विकास पंचोली
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)



वादी श्री काना पुत्र नारायण लोधा के हिरसो में आने वाले रकबे को तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी स. 1/1 से 1/4 व 2 के हिरसो को नीले रंग से दर्शित किया गया है। सम्मिलित रहने वाला क्षेत्र बिना रंग के है।

उपस्थित पक्षकारान को तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अनुतोष

ग्राम सदारा की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता स. 86-852 किता 4 रकबा 1.60 है. का बंटवारा कर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 के वारिस 1/1 - 1/4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स. 2 का 1/4 हिस्सा कर खाता व लगान अलग-अलग कायम करने हेतु वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

निर्णय

ग्राम सदारा की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता स. 86-852 किता 4 रकबा 1.60 का बंटवारा तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है.)	किस्म
1.	काना पुत्र नारायण लोधा सा.देह खातेदार	733	0.48	चा.1
		34	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
2.	रवि पुत्र नानूराम 1/8 , राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/8 , वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/8 , सन्तोक पत्नि नानूराम हि. 1/8 , सीता पुत्री किशना हि. 1/2 कोम लोधा सा.देह खातेदार	733/1	0.48	चा.1
		34/1	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
3.	1.काना पुत्र नारायण लोधा हि. 1/2 2.राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/16 3.रवि पुत्र नानूराम हि. 1/16 4.वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/16 5.सन्तोक पत्नि नानूराम हि. 1/16 6.सीता पुत्री किशना हि. 1/4 सां.देह खातेदार	732	0.02 है.	गै.मु. चाह
		741	0.02 है.	गै.मु. चाह
		कुल किता 2	0.04	

तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाते व लगान कायमी करे एवं नक्शाट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा फरिक्ते अपना-अपना वहन करें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।



(विकास पंचायती) 22/10/2027
उपखण्ड अधिकारी
बोकारही (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उन्वान

1. काना पुत्र नारायण जाति लोधा निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर

बनाम

---वादी

- नानूराम पुत्र किशना जाति लोधा निवासीग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर (फोट)
1/1 श्रीमति सन्तोष पत्नि नानूराम
1/2 वन्दना पुत्री नानूराम
1/3 राकेश पुत्र नानूराम
1/4 रवि पुत्र नानूराम
जाति लोधा निवासीग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर
- सीता पुत्री किशना पत्नि बालूराम जाति लोधा निवासी ग्राम सदारा हाल निवासी राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,54,188, राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- 138/2019 (2019/00150)

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021

ग्राम सदारा की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता स. 86-852 किता 4 रकबा 1.60 है. का बंटवारा तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है.)	किस्म
1.	काना पुत्र नारायण लोधा सा.देह खातेदार	733	0.48	चा.1
		34	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
2.	रवि पुत्र नानूराम 1/8 ,राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/8 ,वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/8 , सन्तोष पत्नि नानूराम हि. 1/8 , सीता पुत्री किशना हि. 1/2 कोम लोधा सा.देह खातेदार	733/1	0.48	चा.1
		34/1	0.30	बा.2
		कुल किता 2	0.78	
3.	1.काना पुत्र नारायण लोधा हि. 1/2 2.राकेश पुत्र नानूराम हि. 1/16 3.रवि पुत्र नानूराम हि. 1/16 4.वन्दना पुत्री नानूराम हि. 1/16 5.सन्तोष पत्नि नानूराम हि. 1/16 6.सीता पुत्री किशना हि. 1/4 सां.देह खातेदार	732	0.02है.	गै.मु. चाह
		741	0.02 है.	गै.मु. चाह
		कुल किता 2	0.04	

तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाते व लगान कायमी करे एवं नक्शाट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.10.2021 को जारी की गई ।



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर) 10/10/2021